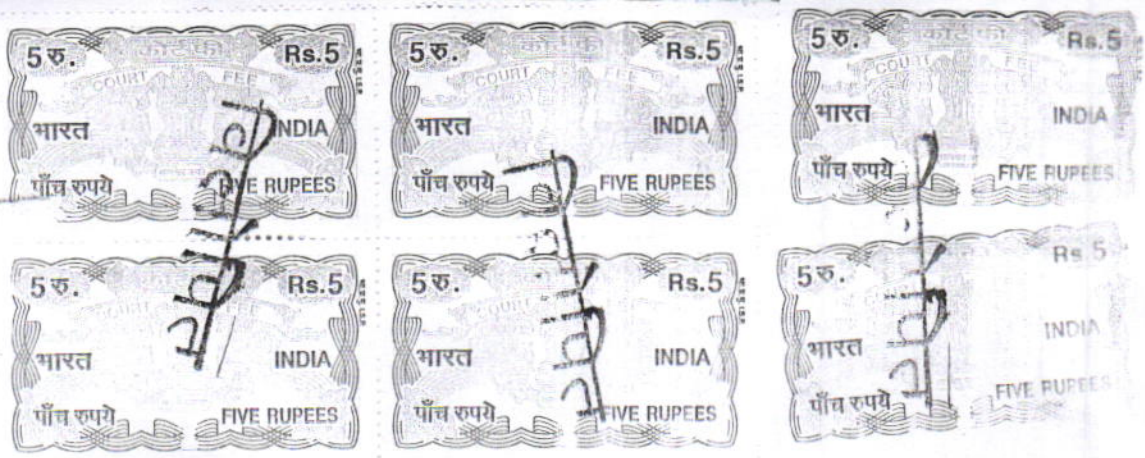

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक /2019

पुनर्विलोकन-0381/2019/ग्वालियर/भू.रा.

1. डब्बू पुत्र बुद्धा पारधी,
   निवासी चक सिधपुरा चिरौली,
   तहसील व जिला ग्वालियर
2. मान सिंह पुत्र स्व.श्री फुच्चू सिंह पारधी
   निवासी ग्राम नौ गांव तहसील व जिला
   ग्वालियर द्वारा मुख्त्यार आम सतेन्द्र सिंह
   भदौरिया निवासी ग्राम गडरोली,
   जिला–ग्वालियर

श्री मुकेश बंसल द्वारा आज दि. 5.3.19 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3-4-19 नियत।
रीडर ऑफ कोर्ट 5.3.19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्व

1. सत्य प्रकाश पुत्र बेताल सिंह जाति–गुर्जर
2. इन्दर सिंह पुत्र शंकर सिंह जाति–गुर्जर
   निवासीगण–ग्राम नौगांव
   तहसील व जिला–ग्वालियर
3. म.प्र. शासन द्वार कलेक्टर, ग्वालियर

5/3/2019

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमाक–3237–पीबीआर/2016 में अध्यक्ष श्री मनोज गोयल द्वारा दिनांक 12/05/2017 को पारित आदेश के पुनरावलोकन हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता.

महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरावलोकन आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि, ग्राम नौगांव तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक–761/4 रकबा 0.418 है का प्रकरण क्रमांक 4/67–68/अ–19 में आदेश दिनांक 12/01/1968 द्वारा पट्टा प्रदान किया गया था तदनुसार आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज चला आ रहा था।

2. यह कि, आवेदक ग्राम नौगांव से अपने घर से मजदूरी हेतु बाहर गया हुआ था। इसका लाभ उठाकर कलेक्टर की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य व्यक्ति को खडा कर आवेदक की भूमि का विक्रय पत्र संपादित करा लिया गया एवं ऐसे अवैध विक्रय के आधार पर क्रेतागण

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - पुनरावलोकन - 0381/2019/ग्वालियर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
15-5-19	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा निगरानीप्र0क्र0 3237-पीबीआर/2018 में पारित आदेश दिनांक 12-5-17 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत पेश किया गया है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्प्ष्ट होता है कि इस न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसमें आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में उठाये गये कई बिंदु पर विचारण नहीं हो सका है तथा विचारण बिंदु से अलग हटकर आदेश पारित किया गया है, इस कारण इस प्रकरण में पुनरावलोकन का पर्याप्त आधार है । अत: इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12-5-17 निरस्त किया जाकर मूल निगरानी प्रकरण 3237-पीबीआर/2016 पुन: सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं । पक्षकार सूचित हों यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । अध्यक्ष	